संख्या-29/2026/I/1345619/2026 /001-71-4099-1137-2021

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-28.05.2026

विषय:- **आई0आई0टी0, कानपुर के अन्तर्गत 500 शैयायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नालॉजी (एस0एम0आर0टी0) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़ की (तृतीय किश्त) वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या-IITK/DIR/2026 दिनांक-07-05-2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आई0आई0टी0, कानपुर के अन्तर्गत 500 शैयायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नालॉजी (एस0एम0आर0टी0) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू0 30.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा शीर्षक 4210031059200 के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एम.आर.टी.) के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित निर्धन वर्ग के मरीजों को इनके लिए निर्धारित पैकेज दरों पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
4. विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों व व्यवस्थाओं जैसे उत्तर प्रदेश के कार्मिकों हेतु लागू पं0 दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना व अन्य सुविधाएँ भी सुनिश्चित की जायेंगी।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या-56/2024/I/822991/2024/001-71-4099- 1137-2021, दिनांक- 13.12.2024 में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031059200 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एम.आर.टी.) की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
5. वित्त अधिकारी, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।